न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–133 / 2019

राम आधार पंडित..................................वादी

बनाम

उमेश पंडित वगैरह...प्रतिवादीगण

आदेश

17.10.22 अभिलेख आज वादी की ओर से निषेधाज्ञा हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–09.12.2019, साथ सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन एवं उसके तत्संबंधित प्रतिवादी सं0–2 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा दिनांक–27.06.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन पक्षकार द्वारा सत्यापित नहीं है तथा उसके समर्थन में वादी का शपथ–पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है जबकि उक्त आवेदन को दाखिल किए कुल तीन वर्ष बीत चुके हैं। अतः वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। तद्नुसार खारिज किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि यदि निषेधाज्ञा आवश्यक हो तो इस संबंध में शपथ–पत्र एवं आवश्यक सत्यापन के साथ स्वच्छ आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक– 05-12-2022 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी।